

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 4875 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 23 जून 2018

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि०वि०,
गौचर।

पत्र सं 927
जईल सं 1047
दिनांक 25/06/18

विषय:-

जनपद चमोली के विधानसभा कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी- किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती जखेट चौरासैंण तक मोटर मार्ग के वन निर्माण हेतु 1.410 है० वन भूमि हस्तान्तरण का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि एवं एन.पी०वी० की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है।

कसं०	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है० में)	दर प्रति है०	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	2.82	2,78,665.00	785835.00 ✓
2	एन०पी०वी० (घन्तव 0.2)	1.410	657000.00	926370.00 ✓

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस

कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC
AST for
Necessary Action
23/6/18